वन पंचायत के माइक्रो प्लान का प्रारूप (गाइडलाईन)

1. पंचायती वन तथा वन पंचायत का परिचय

(क) परिचयः

1.1 पंचायती वन की स्थिति एव सामान्य परिचय – **एक पन्ने में संक्षिप्त परिचय दें**

1.2 वन पंचायत/ग्रम का संसाधन मानचित्र एवं पंचायती वन का नजरिया नक्शा संलग्न किया जाये, जिसमें पंचायती वन के साथ–साथ आस पास के अन्य सभी भूमि (आरक्षित वन, सिविल वन, सिंचित नाप भूमि, असिंचिंत नाप भूमि इत्यादि) की स्थिति परिलक्षित तथा इसके उपयोग के बारे में जानकारी का अंकन हो। (**यह अभ्यास ट्रांजेक्ट वॉक के समय किया जाना है)**

1.3 सुविधा मानचित्र इसके समीपस्थ पंचायती वन की दूरी (कि0मी0), वन पंचायत की दूरी (कि0मी0), जिला चिकित्सालय, जिला अधिकारी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक, बाजार व प्राथमिक विद्यालय अंकित करें।

(ख) विवरणः

1.4 वन पंचायत विवरणिका **(प्रपत्र 1)**

1.5 वन पंचायत की भौगोलिक, जलवायु, भूमि उपयोग एवं भू–स्खलन की स्थिति **(प्रपत्र 2)**

1.6 पंचायती वनों में जल स्रोतों की उपलब्धता **(प्रपत्र 3)**

1.7 **पंचायती वन में पायी जाने वाली वनस्पति एवं वन्यजीव तथा उनके संरक्षण की स्थितिः**

1.7.1 पंचायती वन में पायी जाने वाली मुख्य वनस्पति एवं उनके संरक्षण की स्थितिः**(प्रपत्र 4.1)**

1.7.2 पंचायती वन में पाये जाने वाले वन्य प्राणियों की संख्या (अनुमानित) एवं उनके संरक्षण की स्थितिः **(प्रपत्र 4.2)**

1.8 **आजिविका संसाधन एवं चारा ईधन मैट्रिक्स का विवरणः**

1.8.1 पंचायती वन के अधिकारधारी परिवारों के परिवारवार पशुधन, चारा संसाधन व ऊर्जा स्रोत का विवरण **(प्रपत्र 5.1)**

1.8.2 वन पंचायत के अधिकारधारी परिवारों के परिवारवार कृषि भूमि, निजी पेड (गैर बागवानी तथा बागवानी) एवं नियम 18 (ड.) में दिये गये पेड, मूलभूत संसाधन तथा रोजगार से जुडे मानव संसाधन का विवरण **(प्रपत्र 5.2)**

1.8.3 वन पंचायत में चारा तथा ईधन की कुल आवश्यकता **(प्रपत्र 5.3 (क) (ख))**

1.8.4 इंधन व चारा आपूर्ति हेतु समिपस्त वनों की उपयोग की स्थिति **(प्रपत्र 5.3 (ग))**

2. पंचायती वन/वन पंचायत से जुड़े स्थानीय समूहों का विवरण (प्रपत्र 6)

3. पंचायती वनों में घटित वन आपदा, वन अपराध, वनाग्नि दुर्घटना एवं मानव–वन्यजीव संर्घष की स्थितिः

3.1 पंचायती वन में विगत 5 वर्षों में अतिक्रमण, अवैध शिकार, अवैध पातन की स्थिति **(प्रपत्र 7)**

3.2 पंचायती वनों में विगत 5 वर्षो में वनाग्नि दुर्घटनाओं का विवरण **(प्रपत्र 8)**

3.3 वन पंचायत में विगत 5 वर्षो में मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति **(प्रपत्र 9)**

4. पंचायती वनों के वन उपज के समुपयोजन व उपयोग की स्थिति

4.1 वन पंचायत में विगत 5 वर्षो में **उपनियम 18 (ग), (घ) तथा (ड.)** के अन्तर्गत वन उपज के समुपयोजन व उपयोग **(प्रपत्र 10)**

4.2 वन पंचायत से विगत 5 वर्षो में **उपनियम 18 (ग), (घ) व (ड.)** के अन्तर्गत वन उपज के समुपयोजन व उपयोग से प्राप्त आय **(प्रपत्र 11)**

4.3 वन पंचायत से विगत 5 वर्षो में उप नियम 18 (ख) तथा अन्य स्रोतो से प्राप्त आय **(प्रपत्र 12)**

5. वन पंचायत में विगत 5 वर्षों में किये गये कार्य (प्रपत्र 13)

6. वन पंचायत प्रबन्धन व्यवस्थाः

6.1 वन पंचायत द्वारा उप नियम 18 के तहत वन उपज उपयोग एवं समुपयोजन हेतु पंचवर्षीय रणनीति **(प्रपत्र 14)**

6.2 वन पंचायतों के पारम्परिक सामुदायिक प्रबंधन व्यवस्था की भावी रणनीति **(प्रपत्र 15)**

6.3 पंचायती वन में वन अपराध रोकने हेतु व्यवस्था व भावी रणनीति **(प्रपत्र 16)**

7. पंचायती वन तथा वन पंचायत में किये जाने वाले आवश्यक कार्यः

7.1 पंचायती वन/वन पंचायत में किये जाने वाले आवश्यक कार्य–वन विभाग **(प्रपत्र 17)**

1. नियोजन, प्रशिक्षण व प्रचार प्रसार
2. पंचायती वन का सर्वे एवं सीमांकन
3. वनों का विकास
4. जल एवं भूमि संरक्षण कार्य
5. पंचायती वनों की सूरक्षा
6. वन पंचायत से जुड़े अन्य कार्य
7. पंचायती वनों के स्वप्रबन्धन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग हेतु कार्य

7.2 पंचायती वन/वन पंचायत में अभिसरण से किये जाने योग्य कार्य **(प्रपत्र 18)**

7.3 तीन आम बैठकों के कार्यवृत्त का संकलनः

7.3.1 प्रथम बैठक का कार्यवृत शामिल किया जाय।

7.3.2 दूसरी बैठक का कार्यवृत शामिल किया जाय।

7.2.3 तीसरी बैठक का कार्यवृत शामिल किया जाय।

8 परिवावार अनुसूची में सूचना देने वाले व्यक्ति तथा सुचना लेने वाले व्यक्ति का सरपंच द्वारा सत्यापन (प्रपत्र–19)

———————

माईक्रोप्लान तैयार करने हेतु प्रपत्र

बिषय सूची–

1. पंचायती वन व वन पंचायत के परिचय का विवरण–

(क) परिचयः

1.1 पंचायती वन की स्थिति एव सामान्य परिचय – **एक पन्ने में संक्षिप्त परिचय दें।**

1.2 **वन पंचायत/ग्राम का संसाधन मानचित्र** एवं पंचायती वन का नजरिया नक्शा के साथ–साथ आस पास के अन्य सभी भूमि (सामुदायिक गौचर भूमि, आरक्षित वन, सिविल वन, सिंचित नाप भूमि, असिंचिंत नाप भूमि इत्यादि) की स्थिति परिलक्षित तथा इसके उपयोग के बारे में जानकारी का अंकन हो। (**यह अभ्यास ट्रांजेक्ट वॉक के समय किया जाना है)।** इसे एक पन्ने में दिया जाय।

1.3 **सुविधा मानचित्र** इसके समीपस्थ पचांयती वन की दूरी (कि0मी0), वन पंचायत की दूरी (कि0मी0), जिला चिकित्सालय, जिला अधिकारी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक, बाजार व प्राथमिक विद्यालय अंकित करें। इसे एक पन्ने में दिया जाय।

नोटः 1.1 से 1.3 तक इस कार्यालय के पत्रांक 468/3–3(5) दिनांक 24.12.2021 से उदाहरण के रूप में संलग्नक कर प्रेषित किये गये है।

(ख) विवरण

प्रपत्र–1 (बिन्दु सं0–1.4) वन पंचायत विवरणिका

1.1 रेंज का नामः
1.2 वन पंचायत का नामः
1.3 वन पंचायत का कोडः
1.4 वन पंचायत का गठन वर्षः
1.5 पंचायती वनों से लगे राजस्व ग्रम/ग्रमों का नामः
1.6 तहसील का नामः
1.7 ब्लांक का नामः
1.8 पटवारी क्षेत्र का नामः
1.9 वर्तमान प्रबंधन समिति के गठन की तिथिः
1.10 पंचायती वन का क्षेत्रफल (है0):
1.11 पंचायती वन की भूमि की वैधानिक स्थितिः
(आरक्षित/सिविल/ग्रम पंचायत/अन्य)

सीमाबंदी की स्थिति		सजरा (नक्शा)		खतौनी		खसरा हदबन्दी		वन पंचायत के गठन का आदेश (टुकड़ा मिलान के विभिन्न आदेश सहित)	कुल आवश्यक सीमा स्तम्भों की संख्या	वर्तमान समय तक निर्मित कुल सीमा स्तम्भ की संख्या	निर्मित सीमा स्तम्भों की स्थिति	
है	नहीं है	है	नहीं है	है	नहीं है	है	नहीं है				सही	खराब
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.12 वन भूमि हस्तानांतरण (है0):
1.13 कार्यालय पत्र व्यवहार का पूर्ण पताः
1.14 प्रबन्ध समिति अध्यक्ष का नामः
1.15 वन पंचायत प्रबन्धन समिति सदस्य सचिवः

क्र.सं.	सदस्य सचिव नाम*	मो0न0*
1		
2		
3		

नोट 1:* सदस्य सचिव बदलने के स्थिति में नवनियुक्त सदस्य सचिव का नाम व मोबाईल नम्बर क्रमश भरते जाये।

1.16 प्रबंधन समिति के सदस्यः

क्र0सं0	नाम	M/F	आयु
1			
2			
3			
4			

क्र0सं0	नाम	M/F	आयु
5			
6			
7			
8			

1.17 वन पंचायत का खाता संख्या*:
1.18 बैंक का नामः
1.19 आई0एफ0एस0सी0 कोडः
1.20 खाते में उपलब्ध धनराशि का विवरणः

नोट 2:* सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करें कि माइक्रोप्लान बनाते समय केवल एक ही बैक खाता चालू रहना आवश्यक है। यदि एक से अधिक बैक खाता हो तो इसे बन्द किया जाय।

प्रपत्र 2 (बिन्दु सं0–1.5) वन पंचायत की भौगोलिक, जलवायु, भूमि उपयोग एवं भू–स्खलन की स्थिति

2.1 पंचायती वन की स्थितिः

(क) समुद्र सतह से ऊँचाई(मी0)
(ख) प्रमुख ढाल
(ग) जी0पी0एस0 लोकेशन

2.2 जलवायु:

(क) **तापमान**
(i) अधिकतम
(ii) न्यूनतम
(ख) वर्षा
(ग) पाला
(घ) बर्फबारी

2.3 मृदाः

(क) मृदा का प्रकार
(ख) मृदा की गहराई

2.4 पंचायती वन को छोडकर पारस्परिक कास्तकारी किये जाने वाले भूमि एवं वन संसाधानों के उपयोग का विवरणः (टांजेक्ट वॉक के आधार पर)

क्र0सं0	संसाधन का नाम	पारस्परिक रूप से कास्तकारी किये जाने वाले वन भूमि/सामूहिक भूमि (मौसमी चारागाह सहित)			निजी/नाप भूमि का क्षेत्रफल है0
		नाम	अनुमानित क्षेत्रफल (है0)	पांच मुख्य पेंड प्रजाति तथा तीन मुख्य झाडी प्रजाति	
1	2	3	4	5	6
1.	लगा आरक्षित वन				
2.	लगा सिविल वन				
3.	पंचायती सामुदायिक भूमि				
4.	सिंचित भूमि (निजी)				
5.	असिंचित भूमि (निजी)				

2.5 पंचायती वन में भू–स्खलन की स्थितिः

क्र.सं.	भू–स्खलन स्थल का नाम व लगा तोक/गांव का नाम *	जी0पी0एस0 कार्डिनेट्स
1	2	3

नोटः* इसे भरने में संहत प्लान का संदर्भ लिया जाय।

प्रपत्र 3 (बिन्दु सं0–1.6) पंचायती वनों में जल स्रोतो की उपलब्धता

क्र. सं.	जल स्रोत /गधेरे का नाम/तोक*	पंचायती वन व इससे जुडे राजस्व ग्राम का नाम जिसमें जल स्रोत स्थित है	जी.पी.एस. कार्डिनेट्स	जल स्रोत में जल की उपलब्धता (वर्षभर/मौसमी)	जल स्रोत का वर्तमान उपयोग पीने का पानी/सिंचाई	जल स्रोत से लाभान्वित परिवारों /गांवों की संख्या	जल स्रोत के प्रबन्धन की वर्तमान स्थानीय व्यवस्था
1	2	3	4	5	6	7	8

नोटः * इसे भरने में संहत प्लान का संदर्भ लिया जाय।

(बिंदु संख्या–1.7) पंचायती वन में पायी जाने वाली वनस्पति एवं वन्यजीव तथा उनके संरक्षण की स्थितिः

प्रपत्र 4.1 (बिन्दु सं0 1.7.1) पंचायती वन में पायी जाने वाली मुख्य वनस्पति एवं उनके संरक्षण की स्थितिः

क्र0 सं0	वृक्ष/झाड़ी/पौध/अन्य प्रजातिया	प्रजाति का स्थानीय नाम *	मुख्य उपयोग	उपलब्धतता रैकिंग (1 से 5)***					प्राकृतिक प्रजाति पर दबाव रैकिंग (1 से 5)***					दबाव का कारण **	प्रजाति का पुनः जनन् उत्पादन की रैकिंग (1 से 5)***				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(i)	पांच मुख्य वृक्ष प्रजाति	1																	
		2																	
		3																	
		4																	
		5																	
(ii)	पांच मुख्य झाडीनुमा प्रजाति	1																	
		2																	
		3																	
		4																	
		5																	
(iii)	पांच मुख्य पौधनुमा प्रजाति	1																	
		2																	
		3																	
		4																	
		5																	
(iV)	बॉस/रिंगाल/घास आदि प्रजातियॉ	1																	
		2																	
		3																	
		4																	
		5																	
(V)	झुले/मौसघास/जड़ी बूटी आदि प्रजातियॉ	1																	
		2																	
		3																	
		4																	
		5																	

नोट 1: * कॉलम सं0 3 में (प्रजाति का नाम, वृक्ष, झाडीनुमा, पौधनुमा, तथा झुले/मौस/घास प्रजाति इत्यादि) को भरने का अभ्यास सामूहिक बैठक में किया जाना आवश्यक है। इस अभ्यास में प्रजातियों को भरते समय प्रकाष्ठ प्रजाति के साथ–साथ जंगली फलदार तथा फूलदार (जैसे काफल, मेहल, बुंरास इत्यादि) तथा पत्तेदार (जैसे तेजपत्ता व अन्य) प्रजातियों पर बराबर ध्यान दिया जाय।

नोट 2: ** प्रजाति पर दबाव का कारण (जैसे वाणिज्यिक दोहन/पालतु पशुओं/वन्य प्राणीयों/वनाग्नि/प्रर्यावरण प्रदूषण इत्यादि) हो सकता है।

नोट 3: *** 1 सबसे कम 5 सबसे ज्यादा।

प्रपत्र 4.2 (बिन्दु संख्या 1.7.2) पंचायती वन में पाये जाने वाले वन्य प्राणियों की संख्या (अनुमानित) एवं उनके संरक्षण की स्थितिः

क्र0 सं0	वन्य प्राणी नाम	अनुमानित वन्य प्राणियो की संख्या	भोजन में शामिल तीन मुख्य आहार*	इसकी उपलब्धता की रैकिंग (1 से 3)**		
				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
1			1			
			2			
			3			
2			1			
			2			
			3			
3			1			
			2			
			3			
4			1			
			2			
			3			

नोट 1: *मांसाहारी वन्य प्राणी हेतु उपयुक्त प्राणी प्रजाति तथा शाकाहारी वन्य प्राणी हेतु उपयुक्त वनस्पति प्रजाति को मुख्य आहार में शामिल 3–3 नाम को कालम में अंकित किया जाय।

नोट 2: (1 से 3)** 1 सबसे कम 3 सबसे ज्यादा।

(बिन्दु सं0–1.8) आजिविका संसाधन एवं चारा ईंधन मैट्रिक्स का विवरण

प्रपत्र 5.1 (बिन्दु सं0–1.8.1) पंचायती वन के अधिकारधारी परिवारों के परिवारवार पशुधन, चारा संसाधन व ऊर्जा स्रोत का विवरण

		परिवार के सदस्यो की संख्या					पशुधन विवरण										चारो के आपूर्ति का स्रोत (दशक प्रतिशत में)					इंधन के आपूर्ति का स्रोत		कॉलम सं0 25 के सापेक्ष विभिन्न स्रोतों से लकडी आपूर्ति की फांट				
परिवार क्र0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	जाति	पु0	म0	बच्चे	योग	गाय	भैंस	बछिया/ बछडा	कटिया/ कटडा	बैल/ भैसा	बकरी/ भेड	घोडा / खच्चर	योग	गौशाला की सं0 जो वन पंचायत/ग्राम के अन्दर स्थित है	खुटे पर खाने वाले पशुओं की सं0	चरान वाले पशुओं की सं0	निजी भूमि से (प्रतिशत में)	अन्य सामूहिक भूमि से (प्रतिशत में)	पंचायती वन (प्रतिशत में)	सिविल भूमि से (प्रतिशत में)	रिजर्व वन से (प्रतिशत में)	श तप्रतिश त (100%) गैर लकडी (गैस/मिट्टी तेल/बिजली/सौ र उर्जा से श त प्रतिश त (100%) √/X	विभिन्न प्रतिश त में लकडी (10%/30%/50%/70%/100%)	निजी भूमि से	अन्य सामूहिक भूमि से	पंचायती वन से	सिविल वन से	आरक्षित वन से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

नोट 1: सरलता के लिये कॉलम संख्या 19 से 23 के सूचना को 1 से 10 तक का रैकिंग में परिवार के सदस्यों के साथ आकंलन कर भरा जाय। इसके बाद इस इसे (दशक प्रतिशत) में प्रस्तुत करें।

नोट 2: कॉलम सं0 24 में (√) लगाते समय यह ध्यान रहे कि इंधन का कुल खपत प्रयोग 100% गैर लकडी स्रोत (गैस/मिट्टी तेल/बिजली/सौर उर्जा) से होना आवश्यक है।

नोट 3: क्योकि घर में गैर लकडी के संसाधन (गैस/मिट्टी तेल/बिजली/सौर उर्जा) उपलब्ध होते हुये भी अधिकतर ग्रामीण विभिन्न मात्रा में घरेलू उपयोग हेतु लकडी का प्रयोग करते है। अतः इसे जानने के लिये कॉलम सं0 25 रखी गयी है। इस संदर्भ में उक्त प्रारूप के कॉलम सं0 26 से 30 को भरते समय कॉलम सं0 25 में दिये गये दशक प्रतिशत (10%/30%/50%/70%/100%) के अन्दर ही भरा जाना है। उदाहरण के लिये यदि कॉलम सं0 25 में इंधन के लिये लकडी के स्रोत को 70% दिखाया गया है, तो कॉलम संख्या 26 से 30 में भरे जाने वाले लकडी के आपूर्ति प्रतिशत का कुल जोड 70% प्रतिशत के अन्दर ही होना है।

नोट 4: इस प्रपत्र के अन्त में सरपंच द्वारा दिये गये विवरण का जांच किये जाने के बाद मोहर के साथ हस्ताक्षर सहित सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

प्रपत्र 5.2 (बिन्दु सं0–1.8.2) वन पंचायत के अधिकारधारी परिवारों के परिवारवार कृषि भूमि, निजी पेड (गैर बागवानी तथा बागवानी) एवं नियम 18(ड.) में दिये गये पेड, मूलभूत संसाधन तथा रोजगार से जुडे मानव संसाधन का विवरण

परिवार क्र0 सं0	परिवार के मुखिया का नाम	कृषि भूमि (है0/नाली)			निजी गैर बागवानी तथा बागवानी पेड						(नियम 18 (ड.) के अन्तर्गत) पिछले 10 वर्ष में प्राप्त पेड़ का वर्ष		मूलभूत संसाधन			रोजगार से जुडे मानव संसाधन विवरण									
		सिं0	असिं0	बंजर	चारा पेड प्रजाति (सं0)	प्रकाष्ठ पेड प्रजाति (सं0)	फल/मसाले औषधि पेड प्रजाति (सं0)	उन्नतशील घास बुटे (सं0)	सुगंधित एवं औषधियुक्त जडी–बुटी बुटे (सं0)	रेशायुक्त पेड प्रजाति (सं0 बुटे सं0)	वर्ष	मात्रा (एक पेड़/आधा पेड़/एक चौथाई पेड़) स्पष्ट भरें	पेयजल सुविधा	शौचालय	मकान पक्का/कच्चा	सेवानिवृत्त तकनीकि व्यक्ति (विभाग व पद का नाम भी अंकित किया जाय)*		युवा (18–35) जो बेरोजगार है की सं0							
																		हाईस्कूल (पास एवं कम)		इण्टरमीडिएट पास		स्नातक		अन्य तकनीकी	
																पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

नोट 1: * यदि परिवार में कोई भूतपूर्व सैनिक व सेवानिवृत्त वन/जल एवं, भूमि संरक्षण/कृषि/उद्यान/मत्सय पालन/सौर उर्जा/शिक्षा/स्वास्थ्य/बाल /महिला विकास इत्यादि विभागों से जुडे सेवानिवृत्त व्यक्ति जो वर्तमान में गांव में ही निवासरत करते है, इनका स्पष्ट उल्लेख कॉलम सं0 17 में भरें।

नोट 2: इस प्रपत्र के अन्त में सरपंच द्वारा दिये गये विवरण का जांच किये जाने के बाद मोहर के साथ हस्ताक्षर सहित सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

प्रपत्र–5.3 (बिन्दु सं0–1.8.3) (क) चारे की कुल आवश्यकता

क्र0सं0	पशुओं का विवरण प्रजातिवार	पशुओं की संख्या	इकाई	कुल कैटिल यूनिट
1	2	3	4	(3x4) 5
1	गाय	–	1.00	–
2	भैंस	–	1.50	–
3	बैल/भैंसा/सांड	–	1.20	–
4	बकरी/भेड़	–	0.20	–
5	कटड़ा/कटिया/बछिया बछड़ा	–	0.60	–
6	घोड़ा	–	1.02	–
7	योग		–	

नोटः चारे की कुल आवश्यकता का आकलन–कुल कैटिल यूनिट x 2.35 = ... मी0 टन/बर्ष

प्रपत्र– 5.3 (बिन्दु सं0–1.8.3) (ख) वन पंचायत के इंधन व चारा मैट्रिक्स का विवरणः

क्र0सं0	ग्राम पंचायत में उपलब्ध साधन	संख्या	इंधन बचत/उत्पादन यूनिट	कुल इंधन की आपूर्ति/बचत
1	2	3	4	(3x4) 5
1	एल0पी0जी0 गैस संयोजन	–	3.65	–
2	स्टोव (कैरोसीन)	–	0.75	–
3	प्रेशर कुकर	–	1.50	–
4	उन्नत चूल्हा	–	0.16	–
5	बायो गैस (गोबर गैस)	–	3.65	–

नोटः गांव में इंधन की कुल आवश्यकताः– कुल परिवारों की संख्या x 3.65 = ... मी0 टन/वर्ष

प्रपत्र–5.3 (बिन्दु सं0–1.8.4) (ग) ईंधन व चारा आपूर्ति हेतु समीपस्त वनों के उपयोग की स्थिति

क्र. सं.	बिना पशु वाले परिवार सं0	पशु वाले परिवार सं0	इंधन के लिये लकडी के प्रयोग (प्रतिशत के हिसाब से) करने वाले परिवार संख्या						विभिन्न स्रोतो से लकडी उपयोग का प्रतिशत				
			100 % गैर लकडी प्रयोग	10% लकडी का प्रयोग	30 % लकडी प्रयोग	50 % लकडी प्रयोग	70 % लकडी प्रयोग	100 % लकडी प्रयोग	निजी भूमि से	सामूदायिक भूमि से	पंचायती वन से	सिविल वन से	आरक्षित वन से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नोट 1: कॉलम सं0 4 से 9 की सूचना प्रपत्र 5.1 के कॉलम सं0 24 व 25 के आकडों को संकलित कर प्रतिशत में दर्शाया जाय।

नोट 2: उसी प्रकार से कॉलम सं0 10 से 14 तक की सूचना को प्रपत्र 5.1 के कॉलम सं0 26 से 30 तक के आकडों को संकलित कर दर्शाया जाय।

2. प्रपत्र–6 (बिन्दु सं0–2) पंचायती वन/वन पचांयत से जुडे स्थानीय समूहों का विवरण

क्र0 सं0	स्थानीय समूह का नाम	स्थानीय समूहों की संख्या	सदस्यों की संख्या
1	2	3	4
(1)	उदाहरण के लिये .....महिला मंगल दल		
(2)	.....स्वय सहायता समूह		
(3)	.....कृषक समूह/उत्पाद समूह		
(4)	.....युवक मंगल दल		
(5)	.....अन्य		

3. पंचायती वनों में घटित वन आपदा, वन अपराध, वनाग्नि दुर्घटना एवं मानव संघर्ष की स्थिति

प्रपत्र 7 (बिन्दु सं0–3.1) पंचायती वन में अतिक्रमण, अवैध शिकार एवं अवैध पातन की स्थिति

क्र0 सं0	वन अपराध/घटना का विवरण	विगत 5 वर्षो के दौरान घटित अपराध/घटना की संख्या का विवरण					रोकथाम हेतु की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	अन्य विवरण, यदि कोई हो तो
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अतिक्रमण							
2	वन्य जीव संघर्ष							
3	अवैध पातन							
4	अवैध शिकार							
5	अन्य							

प्रपत्र– 8 (बिन्दु सं0–3.2) पंचायती वनों में विगत 5 वर्षों के दौरान वनाग्नि दुर्घटनाओं की स्थिति

क्रं0सं0	विगत 5 वर्षो के दौरान वनाग्नि दुर्घटनाओं का विवरण										रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही	अन्य विवरण, यदि कोई हो तो
	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		पंचम वर्ष			
	संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल	संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल	संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल	संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल	संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	113

प्रपत्र– 9 (बिन्दु सं0–3.3) वन पंचायत में विगत 5 वर्षों में मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति

क्र0 सं0	विवरण	वर्षवार प्रकरण की सं0 जो दर्ज है।					कुल आवेदित मुआवजा		मुआवजा मिलने की स्थिति	
		वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	केस की संख्या	मुआवजा राशि (रू0 में)	केस की संख्या	प्राप्त मुआवजा राशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फसल का नुकसान									
2	मावेशियों का नुकसान									
3	मानव क्षति (घायल)									
4	मानव क्षति (मृत्यु)									
5	अन्य									

4. पंचायती वनों के उपज के समुपयोजन व उपयोग की स्थितिः

प्रपत्र– 10 (बिन्दु सं0 4.1) वन पंचायत में विगत 5 वर्षों में उप नियम 18 (ग), (घ) व (ड.) के अन्तर्गत वन उपज के समुपयोजन व उपयोग

वन उपज का प्रकार			पंचवर्षीय अवधि में समुपयोजन व उपयोगी की स्थिति																		प्रकाष्ठ तैयार करने का औजार (कल्हाड़ी/आरी)	प्रकाष्ठ तैयार करने का कारीगर (ग्रामवाले स्वयं/हिमाचली व कश्मीरी कारीगर)
			उप नियम 18 (ग)* के अन्तर्गत वर्षवार उपयोग					कुल मात्रा	उप नियम 18 (घ)* के अन्तर्गत वर्षवार उपयोग					कुल मात्रा	उप नियम 18 (ड.)* के अन्तर्गत वर्षवार उपयोग					कुल मात्रा		
			वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5		वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5		वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. प्रकाष्ठ प्रजाति	A	सं0/घ0मी0																				
	B	सं0/घ0मी0																				
	C	सं0/घ0मी0																				
2. गैर प्रकाष्ठ प्रजाति	लीसा	कु0																				
	बांस रिंगाल	कोड़ी																				
	जड़ी बूटी**																					
	2.1 झुला घास	कु0																				
3, उप खनिज	3.1 रेत	कु0																				
	3.2 बजरी	कु0																				
	3.3 पत्थर	कु0																				
	3.4 स्लेट	घ0मी0																				
	3.5 मिट्टी	कृ0																				
	3.6 अन्य	सं0/कु0																				

नोटः 1 कॉलम सं. 4,5,6,7,8 व 10,11,12,13,14 एवं 16,17,18,19,20 में वर्ष स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

18ग* वास्तविक घरेलु उपयोग/सामुदायिक उपयोग/कुटीर उद्योग/ग्रामीण उद्योग से सम्बन्धित।

18घ* वाणिज्यिक बिक्री से सम्बन्धित।

18ड.* अति आवश्यक सार्वजनिक/घरेलू उपयोग हेतु सरपंच द्वारा एक वृक्ष की बिक्री।

** उत्तराखण्ड शासन का शा0सं0 761/व0ग्रा0वि0/2004 दिनांक 15–12–2004, सहपठित शा0सं0 2882/दस–2–2004–9 (4)/2001 दिनांक 27–12–2004 एवं शा0सं0 4217/X–2–2006–9(4)/2001 दिनांक 08–09–2006 के अनुसार वनों से सतत् (**sustainable**) आधार पर संग्रह की जाने वाली जड़ी बूटियो के प्रजातियों एवं छूट प्रजाति (मुक्त संग्रहण औषधीय/संगध पादप प्रजातियों) की सूची संलग्न है।

प्रपत्र 11 (बिन्दु सं0 4.2) वन पंचायत से विगत 5 वर्षो में उप नियम 18 (ग), (घ) व (ड.) के अन्तर्गत वन उपज के समुपयोजन व उपयोग से प्राप्त आय

वन उपज का प्रकार			उप नियम 18 (ग)* के अन्तर्गत उपयोग			उप नियम 18 (घ)* के अन्तर्गत उपयोग			उप नियम 18 (ड.)* के अन्तर्गत उपयोग			कुल प्राप्त आय
			कुल मात्रा	तत्समय आकंलित आय *** (रू0)	प्राप्त आय (रू0)	कुल मात्रा	तत्समय आकंलित आय *** (रू0)	प्राप्त आय (रू0)	कुल संख्या	तत्समय आकंलित आय *** (रू0)	प्राप्त आय (रू0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. प्रकाष्ठ (सुखे उखड़े वृक्ष)	A	सं0/घ0मी0										
	B	सं0/घ0मी0										
	C	सं0/घ0मी0										
2. गैर प्रकाष्ठ प्रजाति	लीसा	कु0										
	बांस रिंगाल	कोड़ी										
	जड़ी बूटी**											
	2.1 झुला घास	कु0										
3, उप खनिज	3.1 रेत	कु0										
	3.2 बजरी	कु0										
	3.3 पत्थर	कु0										
	3.4 स्लेट	घ0मी0										
	3.5 मिट्टी	कृ0										
	3.6 अन्य	सं0/कु0										

नोटः 18ग* . वास्तविक घरेलु उपयोग/सामुदायिक उपयोग/कुटीर उद्योग/ग्रामीण उद्योग से सम्बन्धित।

18घ* . वाणिज्यिक बिक्री से सम्बन्धित।

18ड.* अति आवश्यक सार्वजनिक/घरेलू उपयोग हेतु सरपंच द्वारा एक वृक्ष की बिक्री।

** उत्तराखण्ड शासन का शा0सं0 761/व0ग्रा0वि0/2004 दिनांक 15–12–2004, सहपठित शा0सं0 2882/दस–2–2004–9 (4)/2001 दिनांक 27–12–2004 एवं शा0सं0 4217/X–2–2006–9(4)/2001 दिनांक 08–09–2006 के अनुसार वनों से सतत् (**sustainable**) आधार पर संग्रह की जाने वाली जड़ी बूटियो के प्रजातियों एवं छूट प्रजाति (मुक्त संग्रहण औषधीय/संगध पादप प्रजातियों) की सूची संलग्न है।

*** संहत प्लान के प्रपत्र 6.1 के कॉलम सं0 11 में दिये गये विगत तीन वर्ष के औसत दर।

प्रपत्र 12 (बिन्दु सं0 4.3) वन पंचायत से विगत 5 वर्षो में उप नियम 18 (ख) तथा अन्य स्रोतो से प्राप्त आयः

आय का स्त्रोत	उप नियम 18 (ख) के अन्तर्गत		अन्य स्रोत से		कुल प्राप्त आय (रू0)
	तत्समय आंकलित आय (रू0)	प्राप्त आय (रू0)	तत्समय आंकलित आय (रू0)	प्राप्त आय (रू0)	
1	2	3	4	5	6
2. वन उपज का प्रकार					
1.1 घास (कु0)					
1.2 लकड़ी (कु0)					
1.3 चरान चुगान (है0)					
1.4 अन्य					
3. अन्य आय के अन्तर्गत					
2.1 जुर्माना					
2.2 ईको सेवा शुल्क					
2.3 ईको पर्यटन शुल्क					
2.4 अन्य शुल्क					

5. प्रपत्र 13 (बिन्दु सं0–5) वन पंचायत में विगत 5 वर्षो में किये गये कार्य

क्र. सं.	कार्य का विवरण		प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		पंचम वर्ष		कुल		सृजित परिसम्पदा की स्थिति (1 से 4)* (√)				देखभाल की व्यवस्था 1 से 4)* (√)				देखभाल व्यवस्था हेतु बनाये गये नियम
		इकाई	भौ0	वि0 (रू0)	भौ0	वि0 (रू0)	भौ0	वि0 (रू0)	भौ0	वि0 (रू0)	भौ0	वि0 (रू0)	भौ0	वि0 (रू0)	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	नियोजन, प्रशिक्षण व प्रचार प्रसार																						
1.1	माइक्रोप्लान निर्माण	संख्या																					
1.2	प्रशिक्षण/शैक्षिक भम्रण/कार्यशाला																						
	(अ) प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय विषय पर	संख्या																					
	(ब) पारिस्थितिकी सेवाओं से जुडे कार्यो के लिए	संख्या																					
	(स) पारिस्थितिकी अनुकूल आयपरक गतिविधियों के लिए	संख्या																					
1.3	प्रचार प्रसार (गोष्ठी/सामग्री)	संख्या																					
2	पंचायती वन का सर्वे एवं सीमांकन																						
2.1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	है0																					
2.2	सीमा स्तम्भ निर्माण	संख्या																					
3	वनों का विकास																						
3.1	सहायतित प्राकृतिक पुर्नत्पादन	है0																					
3.2	चारागाह विकास कार्य	है0																					
3.3	वनीकरण																						
	(अ) नर्सरी निर्माण	संख्या																					
	(ब) अगिम मृदा कार्य	है0																					
	(स) वृक्षारोपण कार्य	है0																					
	(द) अनुरक्षण	है0																					

3.4	महिला नर्सरी विकास कार्य	संख्या																					
4	जल एवं भूमि संरक्षण कार्य																						
4.1	भूमि संरक्षक कार्य (चैकडैम निर्माण आदि)	संख्या																					
4.2	जल स्रोतों का जीर्णोधार कराना (चाल खाल ,ट्रैंच, नौला मरम्मत आदि)	संख्या																					
4.3	अन्य कार्य																						
5	पंचायती वनो की सुरक्षा																						
5.1	वनाग्नि सुरक्षा	ल0स0																					
5.2	अनुउपयोगी प्रजातियों का प्रबंधन	है0																					
5.3	बटिया निर्माण आदि	किमी0																					
5.4	वन सुरक्षा से जुडे जन आधारित कार्य																						
	(अ) मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम उपाय (सुअरोधी दीवाल आदि)	मी0																					
	(ब) वैकल्पिक उर्जा उपकरण	संख्या																					
	(स) अन्य सहायोगी कार्य																						
6	पंचायती वनों के स्वप्रबन्धन हेतु सहयोग कार्य																						
	(अ) वृहद निर्माण कार्य (वन पंचायत भवन आदि)	सं0																					
	(ब) अभिलेख संधारण हेतु सहयोग (बस्ता आदि)	सं0																					
	(स) अन्य कार्य																						
7	वन पंचायत में पारिस्थितिकी सहयोग/पारिस्थितिकी अनुरूप आय परक गतिविधियों हेतु सहयोग																						
	(अ) फल पौघ वितरण	सं0																					
	(ब) हरीयाली पौध	सं0																					
	अन्य कार्य	सं0																					

6. वन पंचायत प्रबन्धन व्यवस्था

प्रपत्र 14 (बिन्दु सं0 6.1) वन पंचायत द्वारा उप नियम 18 के तहत वन उपज उपयोग एवं समुपयोजन हेतु पंचवर्षीय रणनीति

क्र. सं.	नियम	वन उपज का प्रकार	प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष			तृतीय वर्ष			चतुर्थ वर्ष			पंचम वर्ष			कुल आकंलित आय (रू0 में)
			प्रजाति	आंकलित (सं0/मात्रा)	आंकलित आय (रू0)	प्रजाति	आंकलित (सं0/मात्रा)	आंकलित आय (रू0)	प्रजाति	आंकलित (सं0/मात्रा)	आंकलित आय (रू0)	प्रजाति	आंकलित (सं0/मात्रा)	आंकलित आय (रू0)	प्रजाति	आंकलित (सं0/मात्रा)	आंकलित आय (रू0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	नियम 18(ग)	1.1 सूखे उखड़े वृक्ष* (सं0/घ0मी0)																
		1.2 बांस रिंगाल (कोड़ी)																
		1.3 जड़ी बूटी (कु0)**																
		1.4 उप खनिज*** कु0/घ0मी0	रेत															
			बजरी															
			पत्थर															
			स्लेट															
			मिट्टी															
			अन्य															
2	नियम 18(घ)	2.1 लीसा (कुन्तल में)																
		2.2 बांस रिंगाल (कोड़ी)																
		2.3 जड़ी बूटी (कु0)**	झुला घास ई0															
		2.4 अन्य वन उपज																
3	नियम 18 (ड.)	3.1 पेड़ (सं0)																
4	नियम 18 (ख)	4.1 घास (कु0)																
		4.2 लकड़ी (कु0)																
		4.3 चरान चुगान (कु0)																
		4.4 अन्य																
5	अन्य	5.1 जुर्माना (रू0)																
		5.2 ईको सेवा शुल्क (रू0)																

		5.3 ईको पर्यटन शुल्क (रू0)																
		5.4 अन्य शुल्क (रू0)																

नोटः 1

नियम 18 घ (सूखे उखड़े पेड़ों को छोड़कर), नियम 18 ग व नियम 18 ख के अन्तर्गत उपयोग एवं समुपयोजन किये जाने वाली वन उपज के दोहन की मात्रा का बार्षिक आधार अधिकतम सीमा निर्धारण कर प्रपत्र के कम संख्या 1 ,2 व 4 के कालम संख्या–5, 8, 11,14 व 17 में अंकित किया जाय।

नोटः 2

* सूखे उखड़े वृक्ष उपलब्ध होने पर प्रभागीय वनाधिकारी की पुर्वानुमोदन से वन पंचायत द्वारा निस्तारण किया जायेगा।

** उत्तराखण्ड शासन का शा0सं0 761/व0ग्रा0वि0/2004 दिनांक 15–12–2004, सहपठित शा0सं0 2882/दस–2–2004–9 (4)/2001 दिनांक 27–12–2004 एवं शा0सं0 4217/X–2–2006–9(4)/2001 दिनांक 08–09–2006 के अनुसार वनों से सतत् (**sustainable**) आधार पर संग्रह की जाने वाली जड़ी बूटियो के प्रजातियों एवं छूट प्रजाति (मुक्त संग्रहण औषधीय/संगध पादप प्रजातियों) की सूची संलग्न है।

*** केवल वास्तविक घरेलू उपयोग एवं समुदायिक उपयोग हेतु प्रबन्धन समिति के निर्णय के पश्चात् निस्तारण किया जायेगा।

नियम 18 गः वास्तविक घरेलु उपयोग/सामुदायिक उपयोग/कुटीर उद्योग/ग्रामीण उद्योग से सम्बन्धित।
नियम 18 घ. वाणिज्यिक बिक्री से सम्बन्धित।
नियम 18 ड. अति आवश्यक सार्वजनिक/घरेलू उपयोग हेतु सरपंच द्वारा एक वृक्ष की बिक्री।

प्रपत्र 15 (बिन्दु सं0–6.2) वन पंचायतों के पारम्परिक सामुदायिक प्रबंधन व्यवस्था की भावी रणनीति

क्रं. सं.	पंचायती वनों के प्रबन्धन, संवर्द्धन हेतु पांरम्परिक सामुदायिक (सामाजिक, आर्थिक) व्यवस्थायें	नियम/ व्यवस्था है या नहीं	यदि है तो इसका प्रयोग विगत 5 वर्षो में किस प्रकार से किया गया का उल्लेख करें।*	क्या नियम/ व्यवस्था बनाने के इच्छुक है?	यदि नियम/व्यवस्था बनाने के इच्छुक हो तो सर्वसम्मति से पारित का उल्लेख करें।**	कालम सं0 4 के स्वप्रबन्धन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये यदि विभागीय सहयोग (वन एवं राजस्व विभाग) आवश्यक हो तो उल्लेख करें।**
1	2	3	4	5	6	7
1.	क्या वन पचांयत स्वयं अपने संसाधन से माइक्रोप्लान तैयार करते है? (यदि हॉ तो **कॉलम सं0 3** में उल्लेख करें)					
2.	क्या वन पंचायत में स्वयं द्वारा तैनात किये गये वन पहरी की व्यवस्था है? (यदि हॉ तो सालभर/सिजनल एवं इस पर व्यय तथा व्यय का स्रोत इत्यादि का **कॉलम सं0 4** में उल्लेख करें)*					
3.	क्या वन पंचायत द्वारा पंचायती वन/वन पचांयतों के हितकारी कार्यो के लिये कोई व्यय की व्यवस्था की गई है। (यदि की गई है तो **कॉलम सं0 4** में उल्लेख करें)*					
4.	क्या पंचायती गौचर में चरान चुगान हेतु नियम/व्यवस्था प्रयोग में हैं? (यदि है तो **कॉलम सं0 4** में उल्लेख करें)*					
5.	वन उपज वितरण का अपनाये गये नियम जो प्रयोग में है: 5.1 प्रकाष्ठ का वितरण व्यवस्था (यदि है तो **कॉलम सं0 4** में उल्लेख करें)*					
	5.2 गैर प्रकाष्ठ का वितरण व्यवस्था का (यदि है तो **कॉलम सं0 4** में उल्लेख करें)*					
6.	जल स्रोतो के बचाव तथा भूमि कटान रोकथाम हेतु अपनाये गये नियम/व्यवस्था (जैसे समयदान, श्रमदान व अन्नदान आदि) यदि प्रयोग में है का **कॉलम सं0 4** में उल्लेख करें)*					
7.	वनाग्नि से सुरक्षा हेतु अपनाये गये नियम/व्यवस्था (जैसे समयदान, श्रमदान, व अन्नदान आदि) यदि प्रयोग में है का **कॉलम सं0 4** में उल्लेख करें)*					
8.	अनाज को जंगली जानवर से बचाने के लिए ग्रामीणों की व्यवस्था जैसे उचित फसल का चयन जैसे औषधि व सुंगधित पौधे लगाना व सामूहिक योगदान व्यवस्था आदि यदि प्रयोग में है का **कॉलम सं0 4** में उल्लेख करें।*					

9.	मावेशियों को जंगल जानवरों से बचाने के लिये ग्रामीणों की व्यवस्था यदि प्रयोग में है का **कॉलम सं0 4** में उल्लेख करें।*					
10.	क्या वन पंचायत को स्थानीय जैव विविधता समिति के साथ कार्य किया है? यदि है तो कॉलम 4 में उल्लेख करे।*					
11.	क्या नियम 24 (2) के अन्तर्गत वन पंचायत वार्षिक कार्यो को प्रस्तुतिकरण ग्राम पंचायत के आम बैठक में करते है? (यदि करते है तो इसका उल्लेख कॉलम 4 में करें)*					
12.	अन्य व्यवस्था कोई हो तो उल्लेख करें।					

नोट 1:*यदि नहीं तो कॉलम सं0 5, 6 और 7 का अभ्यास पूरा करें।

नोट 2: यह अभ्यास पी0आर0ए0 के दूसरे बैठक से पूर्व चर्चा कर भरा जाना है। दूसरे आम बैठक में कॉलम सं0 6 में भरे गये रणनीति का पुष्टि किया जाना आवश्यक है। साथ ही विचार विमर्श कर विभागीय सहयेग की आवश्यकता हो तो उल्लेख करना आवश्यक है।**

प्रपत्र 16 (बिन्दु सं0–6.3) पंचायती वन में वन अपराध रोकने हेतु व्यवस्था व भावी रणनीति

क्र.सं.	पंचायती वनों में अपराध रोकने हेतु स्वयं की व्यवस्थायें *	नियम है या नहीं	यदि है तो विगत 5 वर्षो में किस तरह उपयोग किया गया	यदि नहीं तो क्या नियम बनाने के इच्छुक हैं?*	यदि है तो सर्वसम्मति से पारित नियम का उल्लेख करें।*	कॉलय सं0 4 स्वयं द्वारा बनाये गये नियमों को सुदढ़ करने हेतु आवश्यक एवं व्यवस्था का उल्लेख करें।*	यदि स्वयं पालन करने में दिक्कत हो तो विभागीय सहयोग की बात रखें।*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अवैध पातन,						
2.	अवैध खनन,						
3.	अतिक्रमण,						
4.	अवैध शिकार						
5.	अन्य						

*यह अभ्यास पी0आर0ए0 के दौरान दूसरे बैठक से पूर्व चर्चा कर प्रबन्ध समिति द्वारा भरा जाना है। जिसकी पुष्टि दूसरे आम बैठक में किया जाना है।

7. पंचायती वन तथा वन पंचायत में किये जाने वाले आवश्यक कार्य

प्रपत्र 17 (बिन्दु सं0–7.1) पंचायती वन/वन पंचायत में किये जाने वाले आवश्यक कार्य–वन विभाग

(नोट– निम्न प्रस्तावित कार्य बजट की उपलब्धता के आधार पर किये जायेंगे।)

क्र. सं.	कार्य का विवरण		वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25		वर्ष 2025–26		वर्ष 2026–27	
		इकाई	भौतिक	अनुमानित व्यय (रू0)	भौतिक	अनुमानित व्यय (रू0)	भौतिक	अनुमानित व्यय (रू0)	भौतिक	अनुमानित व्यय (रू0)	भौतिक	अनुमानित व्यय (रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नियोजन, प्रशिक्षण व प्रचार प्रसार											
1.1	माइक्रोप्लान निर्माण	संख्या										
1.2	प्रशिक्षण/शैक्षिक भम्रण/कार्यशाला											
	(अ) प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय विषय पर	संख्या										
	(ब) पर्यावरणीय सेवाओं से जुडे कार्यो के लिए	संख्या										
	(स) पारिस्थितिकी अनुरूप आयपरक गतिविधिया क्षमता विकास *	संख्या										
1.3	प्रचार प्रसार (गोष्ठी/सामग्री)	संख्या										
2	पंचायती वन का सर्वे एवं सीमांकन											
2.1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	है0										
2.2	सीमा स्तम्भ निर्माण	संख्या										
3	वनों का विकास											
3.1	सहायतित प्राकृतिक पुर्नत्पादन	है0										
3.2	चारागाह विकास कार्य	है0										
3.3	वनीकरण											
	(अ) नर्सरी निर्माण	संख्या										
	(ब) अगिम मृदा कार्य	है0										
	(स) वृक्षारोपण कार्य	है0										
	(द) अनुरक्षण	है0										
3.4	महिला नर्सरी विकास कार्य	संख्या										
4	जल एवं भूमि संरक्षण कार्य											

4.1	भूमि संरक्षण कार्य (चैकडैम निर्माण आदि)	संख्या										
4.2	जल स्रोतों का जीर्णोधार कराना (चाल खाल ,ट्रैंच, नौला मरम्मत आदि)	संख्या										
4.3	अन्य कार्य											
5	पंचायती वनो की सुरक्षा											
5.1	वनाग्नि सुरक्षा	ल0सं0										
5.2	अनुउपयोगी प्रजातियों का प्रबंधन	है0										
5.3	बटिया निर्माण आदि	कि0मी0										
5.4	वन सुरक्षा से जुडे जन आधारित कार्य											
	(अ) मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम उपाय (सुअरोधी दीवाल आदि)	मी0										
	(ब) वैकल्पिक उर्जा उपकरण	संख्या										
	(स) अन्य कार्य											
6	पंचायती वनों के स्वप्रबन्धन् हेतु सहयोग कार्य											
	(अ) वृहत निर्माण कार्य (वन पंचायत भवन आदि)	सं0										
	(ब) अभिलेख संधारण हेतु सहयोग (बस्ता आदि)	सं0										
	(स) अन्य सहायोगी कार्य **											
7	वन पंचायत में पारिस्थितिकी सहयोग/पारिस्थितिकी अनुकूल आय परक सहयोग *											
	(अ) फल पौघ वितरण	सं0										
	(ब) हरीयाली पौध	सं0										
	(स) अन्य कार्य	सं0										

नोट 1:* कृपया ध्यान रहे कि बिन्दु सं0 1.2 (स) केवल पारिस्थितिकी अनुरूप आयपरक गतिविधियों के क्षमता विकास (प्रशिक्षण/शैक्षिक भम्रण/कार्यशाला) से सम्बन्धित है, जबकि बिन्दु सं0 7 में उल्लिखित मद पारिस्थितिकी अनुरूप आय परक गतिविधियों हेतु अन्य सहयोग (जैसे–वित्तीय, ढ़ांचागत व तंत्रगत सहायोग) से सम्बन्धित है।

नोट 2:**अन्य सहयोगी कार्य इस गाइडलाईन के प्रपत्र–15 का कॉलम संख्या 7 एवं प्रपत्र–16 का कॉलम संख्या 8 के अभ्यास में ग्रामीणों से मिली सूचना के उपरान्त इसमें शामिल किया जायेगा।

नोट 3: उक्त कार्यो के अतिरिक्त वन पंचायत के पेयजल, कृषि, औधानिकी, पशुपालन, सौर ऊर्जा, लघु निर्माण एवम् अन्य ग्राम्य विकास के कार्यो को वन पंचायत द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य विकास विभागों के साथ समन्वय करते हुए लागू किया जाना है।

(प्रपत्र 18 (बिन्दु सं0–7.2) पंचायती वन/वन पंचायत में अभिसरण से किये जाने योग्य कार्य
(नोट– निम्न प्रस्तावित कार्य बजट की उपलब्धता के आधार पर किये जायेंगे।)

क्र0 सं0	गतिविधि	विभाग	अनुमानित लागत (रू0)	प्रारम्भ वर्ष व अवधि*	लाभार्थी समूह का विवरण**
1	2	3	4	5	6
1	औषधीय तथा सगंध पौध उत्पादन तकनीक, मूल्य संवर्द्धन एवं बाजार व्यवस्था	उद्यान विभाग/भेषज संघ/ सगंध पौध एवं रोपण केंद्र (कैप), सैलाकुई			
2	फल वृक्ष में समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन	उद्यान विभाग			
3	ग्रमीण युवाओं हेतु स्वरोजगार परक कुटीर उद्योग	कृषि/उद्याान/सहकारी विभाग			
4	चारागाह विकास	पशुपालन विभाग			
5	लघु निर्माण कार्य	ग्राम्य विकास विभाग–मनरेगा से			
6	सिंचाई यंत्र,गूल, परंपरागत जल स्रोतो का जीर्णोद्धार	सिंचाई विभाग			
7	पौधशाला प्रबंधन	समस्त रेखीय विभाग			
8	बाजार आधारित प्रसार	कृषि / उद्यान विभाग			
9	प्रसंस्करण युनिट– एकलाभकारी व्यवसाय	उद्यान विभाग			
10	स्वरोजगार हेतु मत्स्य पालन	मत्स्य पालन विभाग			
11	पेय जल सुविधा उपलब्ध कराना एवं पेय जल स्रोतो का रखरखाव	पेय जल विभाग			
12	कौशल विकास प्रशिक्षण	श्रम विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन से			
13	उद्यमशीलता प्रशिक्षण	खादी बोर्ड, उत्तराखण्ड उद्योग विभाग			

नोट 1: *पंचवर्षीय माइक्रोप्लान की अवधि में आवश्यकतानुसार

नोट 2: **स्वयं सहायता समुह एवं वन पंचायत प्रबंधन समिति के सदस्य व समस्त ग्रमीण

प्रपत्रः 15.1 उप नियम 18 (ड.) के अन्तर्गत

(बिंदु संख्या 7.3) तीन आम बैठकों के कार्यवृत का संकलनः

7.3.1 प्रथम बैठक का कार्यवृत शामिल किया जाय।

7.3.2 दूसरी बैठक का कार्यवृत शामिल किया जाय।

7.3.3 तीसरी बैठक का कार्यवृत शामिल किया जाय।

प्रपत्र 19 (बिन्दु सं0–8) परिवारवार अनुसूची में सूचना देने वाले व्यक्ति तथा सूचना लेने वाले व्यक्ति का सरपंच द्वारा सत्यापन प्रपत्र

परिवारवार सूची का कमांक (प्रपत्र 5.1 के कॉलम सं0 1 के आधार पर)	परिवार के मुखिया का नाम (प्रपत्र 5.1 के कॉलम सं0 2 के आधार पर)	परिवार के सदस्य जिनके द्वारा सूचना दी गयी		रिसोर्स एन0जी0ओ0 का सदस्य जिनके द्वारा सूचना ली गयी	
		नाम	हस्ताक्षर	नाम	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

नोटः इस प्रपत्र के अन्त में सरपंच द्वारा पुष्टि की जायेगी।